10/2/26

–प्रकरण पेश।

–प्रकरण का अवलोकन किया गया।

–प्रकरण मे तहसीलदार रेंगाखारकला द्वारा अनावेदक/भूमि स्वामी बादलसिह आ. दुर्जनसिह ग्राम सिवनीखुर्द के नाम पर ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित भूमि ख0न0 क्रमशः 68, 69, 72 रकबा क्रमशः 0.162, 0.198, 1.902 हे0 में स्थित 18 नग हरे आम वृक्ष को राजेन्द्र, मदनलाल, सोनी, निलेश चौधरी के माध्यम से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति या ग्राम सभा संकल्प के अवैध कटाई कराया गया है। जिसकी मौका जांच कर पंचनामा, जप्तीनामा, सुपुर्दनामा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

– प्रकरण में अनावेदकगण बादल सिंह, राजेन्द्र एवं निलेश चौधरी को सूचना नोटिस जारी कर आहूत किया गया।

– अनावेदक बादल सिंह, मदनलाल, निलेश चौधरी एवं राजेन्द्र के द्वारा संयुक्त रूप से उक्त के संबंध में अपना जवाब पेश किया गया। जिसमें उनके द्वारा उक्त भूमि पर स्थित आम के कुल 30 नग वृक्ष जो कि 100 वर्षो से अधिक हो गया है तथा जानमाल और दुर्घटना की संभावना हो सकती थी एवं कृषक उक्त भूमि पर स्थित आम वृक्ष को कटाई कर कृषि कार्य करना चाहता है। जिसके संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन, पंचनामा, सत्यापन एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त कर वृक्ष की कटाई किया गया है। जिसे माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा आम वृक्ष की लकड़ी को जप्ती बनाकर श्री ईमरजयती पिता ऊमर सरपंच ग्राम पंचायत सिवनीखुर्द के सुपुर्द में किया गया है।

– अतः उक्त आम वृक्ष के लकड़ी को अपने सुपुर्द में किये जाने का जवाब पेश किया गया है।

– प्रकरण का अवलोकन व परीशीलन किया गया। जिसमें अनावेदकगण द्वारा ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित उक्त भूमि से 18 नग आम के वृक्ष का अवैध कटाई किया जाना अपने जवाब में स्वीकार किया गया है। छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की अनुकम में बनाये गये नियमों का उल्लंघन पाया गया। जिससे निजी भूमि स्वामी के विरूद्व कठोर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

– खातेदार द्वारा छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 के अनुकम में बनाये गये नियम के तहत प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष अथवा स्वरोपित

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोडला
जिला-कबीरधाम

Scanned with OKEN Scanner

होने संबंधी जानकारी राजस्व अधिकारी या वन परिक्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना देने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। खातेदार द्वारा अपने खाते की भूमि ख0न0 क्रमशः 68, 69, 72 रकबा क्रमशः 0.162, 0.198, 1.902 हे0 में स्थित 18 नग हरे आम वृक्षों को बगैर सक्षम अधिकारी के अनुमति/सूचना के कटाई किया जाकर दूसरे व्यक्ति को विदोहन करने हेतु अपने मर्जी से करने में सम्मिलित होकर उक्त नियम के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

– तहसीलदार रेंगाखारकला द्वारा उक्त आम वृक्ष को अवैध कटाई किये जाने से मौका में जाकर जप्तीनामा, सुपुर्दनामा तैयार कर सरपंच ग्राम पंचायत सिवनीखुर्द के सुपुर्द किया गया है।

– उपयुक्त तथ्यों के जांच कम में स्पष्ट होता है, कि निजी भूमिस्वामी द्वारा उपरोक्त वृक्षों की कटाई/विदोहन होना बनाये गये नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण भू0रा0संहिता 1959 की धारा 253(1) के तहत निजी भूमिस्वामी बादलसिंह आ0 दुर्जन सिंह साकिन सिवनीखुर्द तहसील रेंगाखारकला जिला कबीरधाम को 9000/– (अक्षरी नौ हजार रूपये) अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि को चालान के माध्यम से शासन के खजाने में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करें।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
(राजस्व) बोड़ला
जिला–कबीरधाम

Scanned with OKEN Scanner